न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

क्रमांक / राजस्व / 2025 /

दिनांक 15.09.2025

तहसीलदार,
सागवाडा

विषयः– अन्तिम डिक्री अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय में दायर प्रकरण संख्या 20 / 2023 अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक 15.05.2025 अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः– निर्णय प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी—श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या—20 / 23 (राजस्व वाद) दायर दिनाकः—09.06.2023

निर्णय दिनाकः—15.09.2025

अनवान

1—श्री लक्ष्मण पिता भाणजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा

2—श्रीमती गवरी पत्नि लक्ष्मण परकार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

(वादीगण)

बनाम

1—श्री अमरजी पिता भाणजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

2—श्री गोवर्धन पिता जगजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

3—श्री वेलु पिता लालजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

4—श्री दिलीप पिता लालजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

5—श्री हरीश पिता लालजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

6—श्री शंकर पिता हरजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

7—श्री धनराज पिता जगजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

8—श्री नारायण पिता मंगला कलासुआ परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

9—श्री प्रभु पिता मावजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

10—श्री रतनजी पिता मावजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।

11— भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण — श्री हरिश पाटीदार

वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 8 — श्री निखील सोमपुरा

प्रतिवादी संख्या 9 से 10 — एक पक्षीय

प्रतिवादी 11 — पैरोकार सरकार

वाद अर्न्तगत धारा 53,88,209 आर0टी0एक्ट बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधिकारों की घोषणा

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे संबंधी है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 से 10 का शामलाती खाता मौजा करियाणा पटवार हल्का करियाणा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर में संवत् 2074—2077 के खाता नं0 (नया) 314 व (पुराना) 298 के कुल खेत 16 कुल रकबा 3.8988 हैक्टयर है। उपरोक्त खाता भुमि में वादी संख्या 1 का

1/8 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा व शेष प्रतिवादीगण के हिस्सा भूमि दर्ज रेकार्ड अनुसार है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 से 10 के बिच उक्त शामलाती खाता भूमि का करीब 10 वर्ष पुर्व भूमि का मौखिक बंटवारा हो चुका है तथा वादीगण अपने हिस्सा भूमि पर काविज है।

वर्तमान में प्रतिवादी 1 से 10 के द्वारा बिना बँटवारे के उक्त सम्पूर्ण भुमि को अपने कब्जे मे करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रतिवादी के द्वारा वादीगण के साथ लडाई झगडा करने आमादा हुए। यह कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य उपरोक्त खाते की कृषि भुमि का बंटवारा कर वादीगण का खाता अलग--अलग करना आवश्यक है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करना आवश्यक है कि वह वादीगण के हिस्से की कृषि भुमि पर वादीगण के कृषि कार्य मे किसी प्रकार कि रूकावट नही करे ना किसी प्रकार का कब्जा करने का प्रयास करे।

यह कि वादीगण के द्वारा वाद की पुष्टी मे शपथ पत्र प्रस्तुत कर,दस्तावेज नकल जमाबंदी,नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए गये है। वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 09.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 से 10 को नोटिस जारी किए गये। दिनाक 31.01.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 9 एवं 10 अनुपस्थित रहे जिससे उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे ली गई। प्रतिवादी 11 भुमिधारी हो वाद पत्र मे फार्मल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नही है। प्रतिवादी की और से जवाब फॉर्मल होने से तनकीयात् विरचना किया जाना आवश्यक नही होने से तथा वादी वकील ने प्रकरण में राजीनामा होने की संभावना जाहिर की गई। दिनांक 21.02.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे पत्रावली पर लिया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। जिनकी पहचान वकील उभयपक्ष द्वारा की गई। पीओ साहब नही होने से राजीनामा तस्दीक नही हो पाया। दिनांक 13/7/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं0 5 माननीय एसीजेएम साहब के समक्ष वादी संख्या 1 से 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 उपस्थित हुऐ। पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये जिनकी पहचान वादी वकील एवं प्रतिवादी वकील द्वारा की गई। दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत किया राजीनामा पढकर सुनाया गया। राजीनामी स्वेच्छया करना जाहिर करने से तस्दीक किया गया। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु उपखण्ड न्यायालय सागवाडा को लोटाई गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज,शपथ पत्र अनुसार वादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 वादग्रस्त आराजीयात् के सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के द्वारा वादीगण के मौखिक बॅटवारे के अनुसार हिस्से आई भुमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही वादीगण का खाता अलग से दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण को किसान ऋण किसान केडिट कार्ड आदि लेने मे परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादीगण व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से की कृषि भुमि का बंटवारा करा पृथक खाता दर्ज कराने का अधिकारी है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा निर्णय एव प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की वह वादग्रस्त खाते मे वादीगण के हिस्से की भुमि पर उनके उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करे साथ ही तहसीलदार सागवाडा को ओदश दिया गया है कि मौजा करियाणा के

खाता संख्या नं0 (नया) 314 व (पुराना) 298 के कुल खेत 16 कुल रकबा 3.8988 हैक्टयर मे वादीगण 1 व 2 का हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी,राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का पृथक किया जा उक्त खाते का बॅटवारा कर अलग से खाता दर्ज रेकार्ड किया जा जमाबन्दी कायम की जाने बंटवारा रिर्पोट मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत करने दिनांक 05.08.2024 को आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सागवाडा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक:राजस्व/2025/32 दिनांक 16.06.2025 के सलंग्न पटवारी हल्का करियाणा द्वारा मोजा करियाणा की जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 314 कुल किता 16 रकबा 3.8988 हेक्टयर में वाद अनवान की प्रारम्भिक डिक्री अनुसार बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर मय नक्शा ट्रैस के निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। रिपोर्ट पर सहमति जाहीर की गई।

1–श्री लक्ष्मण पुत्र भाणजी हिस्सा 1/8, गवरी पत्नि लक्ष्मण परमार हिस्सा 1/12 जाति भील सा0गडावासण खातेदार।

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	2900	0.0485	पडत	0.12
2	2908	0.0242	सीरमा–2	0.05
3	2909	0.1213	सीरमा–2	0.24
4	2911	0.0485	सीरमा–2	0.10
5	2903/1	0.0891	सीरमा–1	0.29
6	2913/1	0.0728	सीरमा–1	0.18
7	2907/1	0.0364	म0बीड	0.07
8	2907/2	0.0324	म0बीड	0.06
9	2907/3	0.0081	म0बीड	0.01
10	2914/2/1	0.0486	म0बीड	0.09
11	2914/2/2	0.0567	म0बीड	0.11
12	2914/2/3	0.2256	म0बीड	0.45
योग	किता – 12	0.8122 हेक्टयर		1.77

2–श्री अमरजी पुत्र भाणजी हिस्सा 1/8, गोवर्धन पुत्र जगजी हिस्सा 1/16, धनराज पुत्र जगजी हिस्सा 1/16, दिलीप पुत्र लालजी हिस्सा 1/24, हरिश पुत्र लालजी हिस्सा 1/24, वेलु पत्नि स्व0 लालजी हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र मावजी हिस्सा 1/8, रतनजी पुत्र मावजी हिस्सा 1/8, शंकर पुत्र हरजी हिस्सा 1/12, नारायण पुत्र मंगला हिस्सा 1/12 जाति भील सा0देह खातेदार

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	2903/2	0.1293	सीरमा–1	0.47
2	2913/2	0.0728	सीरमा–1	0.18
3	2907/4	0.0283	म0बीड	0.05
4	2907/5	0.0810	म0बीड	0.16
5	2907/6	0.1374	म0बीड	0.30
9	2914/2/4	0.4050	म0बीड	0.80
7	2914/2/5	1.4403	म0बीड	2.90
8	2901	0.1294	सीरमा–1	0.45

9	2902	0.0404	ग0बीड	0.00
10	2904	0.1698	सीरगा—2	0.34
11	2905	0.0809	सीरगा—2	0.16
12	2906	0.0647	सीरगा—2	0.13
13	2910	0.1375	सीरगा—2	0.28
14	2912	0.1294	सीरगा—2	0.26
15	2914 / 1	0.0404	सीरगा—1	0.10
योग	किता 15	3.0866		6.58

अतः वाद वादी अन्तिम डिकी किया जाकर संलग्न बंटवारा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार पक्षकारान के मध्य भूमि का अमल दरामद कर खाता पृथक दर्ज किए जाने आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के हिस्से की भूमि में कोई दखल नहीं करें न ही उसे बेदखल करें। बंटवारा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर होवे।

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

अन्तिम डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – सागवाडा

बईजलास– श्री सुबोध सिंह चारण **आर0ए0एस0** उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

1–श्री लक्ष्मण पिता भाणजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा
2–श्रीमती गवरी पत्नि लक्ष्मण परकार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा
जिला डूँगरपुर राज0

(वादीगण)

बनाम

1–श्री अमरजी पिता भाणजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
2–श्री गोवर्धन पिता जगजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
3–श्री वेलु पिता लालजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
4–श्री दिलीप पिता लालजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
5–श्री हरीश पिता लालजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
6–श्री शंकर पिता हरजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
7–श्री धनराज पिता जगजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
8–श्री नारायण पिता मंगला कलासुआ परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
9–श्री प्रभु पिता मावजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
10–श्री रतनजी पिता मावजी परमार जाति आदिवासी निवासी गडावासण तह0सागवाडा।
11– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत
धारा 53,88,209 आरटीए

प्रकरण संख्या 11 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा मनिजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एव अन्तिम डिकी जारी की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त खाते में वादीगण के हिस्से की भूमि पर उनके उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करे साथ ही तहसीलदार सागवाडा जरिये पटवारी हल्का करियाणा द्वारा मोजा करियाणा के जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या नं0 (नया) 314 व (पुराना) 298 के कुल खेत 16 कुल रकबा 3.8988 हैक्टयर भूमि के पक्षकारान के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट एवं नक्षा ट्रेस दो–दो प्रतो में पेश किये बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा डिगरी किया जाता है।

नीज..........मुबलिग...........बाबत............खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर...........फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक........का अदा करे।बराव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुबोधसिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

(सुबोधसिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा